<u>न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड,म.प्र.</u> (आप.प्रक.क. :- 556/2014)

(संस्थित दिनांक :- 27 / 06 / 2014)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :— मालनपुर जिला—भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन

## // विरूद्ध //

- 01. रामरूप सिंह गुर्जर पुत्र गोपाल सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी–जिमलेदार का पुरा, हाल–कुशवाह कॉलौनी मालनपुर।
- 02. छुन्ना उर्फ हरेन्द्र सिंह पुत्र कमलेश सिंह गुर्जर उम्र 22 वर्ष निवासी :— ग्राम रिठौरा, जिला—मुरैना, हाल—कुशवाह कॉलौनी मालनपुर, जिला—भिण्ड (म.प्र.)

.....अभुयक्तगण

\_\_\_\_\_\_

## <u>// निर्णय//</u>

( आज दिनांक : 17 / 10 / 2016 को घोषित )

- 01. अभियुक्त रामरूप एवं छुन्ना उर्फ हरेन्द्र सिंह पर भा.द.सं. की धारा 504, 456, 354 एवं 506 भाग।। के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 02/06/14 को रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी क्रान्ति का कमरा स्थित कुशवाह कॉलौनी हरीराम पुरा में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन गृह अतिचार अथवा रात्रौ गृह भेदन किया, फरियादी क्रान्ति को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शान्ति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें, फरियादी क्रान्ति जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादी क्रान्ति को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 02/06/2014 को रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी क्रान्ति का कमरा स्थित कुशवाह कॉलौनी हरीराम पुरा में, आरोपीगण द्वारा उसके घर में प्रवेश करने, उसका गाल चूमने, उससे गाली—गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादिया क्रान्ति द्वारा दिनांक : 04/06/2014 को सुबह 09:00 बजे पुलिस थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक : 126/14

अन्तर्गत धारा 294, 456, 354 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आहत क्रान्ति के धारा 164 द. प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादिया क्रान्ति, साक्षी श्रीमती गीता एवं सुनीता के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- 04. अभियुक्तगण पर भा.द.सं. की धारा 504, 456, 354 एवं 506 भाग।। का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:--
  - 01. क्या आरोपीगण ने दिनांक :— 02 / 06 / 2014 को रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी क्रान्ति का कमरा स्थित कुशवाह कॉलौनी हरीराम पुरा में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन गृह अतिचार अथवा रात्रौ गृह भेदन किया?
  - 02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी क्रान्ति को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शान्ति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें?
  - 03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी क्रान्ति जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?
  - 04. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी क्रान्ति को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया?
  - 05. अंतिम निष्कर्ष?

## <u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> विचारणीय बिन्दु कमांक :– 01 लगायत 04

06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु कमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

फरियादिया क्रान्ति कुशवाह अ.सा.०१ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण रामरूप गूर्जर एवं हरेन्द्र उर्फ छुन्ना को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 07/04/2016 से लगभग दो वर्ष पुरानी होकर रात्रि के 11-11:30 बजे की है। साक्षी आगे कहती है कि उसके पति बामीर में मजदूरी करते है, उस समय वह घर पर अकेली थी। किसी ने गेट पर आवाज दी तो उसने गेट खोला, तो वहाँ एक व्यक्ति था, जिसे वह पहचानती नहीं थी। उक्त व्यक्ति ने उसका हाथ पकड लिया था, वह चिल्लाई तो वह व्यक्ति भाग गया। घटना के समय उसके बच्चे घर पर थे, वह मामा के घर पढ़ते है। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मालनपुर पर दो दिन बाद उसके पति के घर आने पर की थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उसका न्यायालय में कथन कराया था, उसमें उसने क्या बताया था, उसे आज याद नहीं है। पुलिस ने उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही ६ गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी क्रान्ति अ.सा.01 ने आरोपीगण या उनमें से किसी एक द्वारा दिनांक : 02/06/2014 की रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी क्रान्ति के कमरा स्थित कुशवाह कॉलीनी हरीराम का पुरा में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश करने फरियादी क्रान्ति से गाली-गलौंच करने, उसकी स्त्री सुलभ लज्जा को भंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग करने एवं उसे जाने से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित करने का तथ्य नहीं बताया है। यहाँ तक की प्रति परीक्षण के पद क्रमांक 05 में न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को दिखाकर प्रश्न पृछे जाने पर उसका कहना है कि उक्त आरोपीगण में से कोई भी वह व्यक्ति नहीं है, जिसने घटना के समय उसके घर आकर उसका हाथ पकडा था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसका यह कहना है कि उसने न्यायालय में पुलिस के दबाब में आकर झूठी गवाही दी थी। फरियादी अ.सा. 01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.01 के तथ्यों तथा उसके धारा 164 द.प्र.सं. के कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

08. अभियोजन साक्षी गीता अ.सा.02 एवं सुनीता अ.सा.03 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी आरोपीगण द्वारा फरियादी क्रान्ति से गाली—गलौच करने, उसकी स्त्री सुलभ लज्जा को भंग करने के आशय से आपराधिक बल प्रयोग करने एवं उसे जाने से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

09. अभियोजन साक्षी श्रीनिवास यादव अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 04/06/2014 को थाना मालनपुर में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 126/2014 अन्तर्गत धारा 294, 354, 456 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादिया के बताये

अनुसार घटनास्थल का नक्शा—मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी क्रान्ति, साक्षीगण गीता एवं संगीता के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 04 / 06 / 2014 को आरोपी रामरूप को गिरफतार कर गिरफ़्तारी पंचनामा प्र.पी.07 बनाये था तथा दिनांक : 12 / 06 / 2014 को आरोपी छुन्ना को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रति–परीक्षण के पद कमांक 02 में श्रीनिवास अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि फरियादी क्रान्ति, साक्षी गीता एंव सुनीता ने उसे घटना के संबंध में कोई कथन नहीं दिया था और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि तीनों साक्षीगण के कथन उसने स्वेच्छया लेखबद्ध किये है। उल्लेखनीय है कि फरियादी क्रान्ति अ.सा.०१ गीता अ.सा.०२ तथा सुनीता अ.सा.०३ ने पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.06 जिस रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है, उस रूप में पुलिस को देने के तथ्य से उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इन्कार किया है। इस प्रकार उक्त पुलिस कथन प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.06 जिस रूप में न्यायालय में प्रस्तृत किये गये है, उस रूप में उक्त साक्षीगण द्वारा साक्षी श्रीनिवास अ. सा.04 को दिये जाने के संबंध में फरियादी क्रान्ति अ.सा.01, साक्षी गीता अ.सा.02, सुनीता अ.सा.०३ तथा विवेचक श्रीनिवास अ.सा.०४ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

- 10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक 02/06/14 को रात्रि लगभग 11:00 बजे फरियादी क्रान्ति का कमरा स्थित कुशवाह कॉलौनी हरीराम पुरा में, सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन गृह अतिचार अथवा रात्रौ गृह भेदन किया, फरियादी क्रान्ति को साशय अपमानित किया और इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शान्ति भंग करे या अन्य अपराध कारित करें, फरियादी क्रान्ति जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादी क्रान्ति को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 11. अभियोजन आरोपीगण पर धारा 504, 456, 354 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को 504, 456, 354 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 12. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद